न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 113/2022

प्रार्थीगण :–

1. धर्माराम पुत्र पदमाराम
2. हीराराम पुत्र पदमाराम
   जाति जाट निवासी मंगले की बेरी तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. खीयाराम पुत्र हीराराम
2. ठाकरा पुत्र खींयाराम
3. पूनमा पुत्र खींयाराम
4. हडुमान पुत्र खींयाराम
5. चैना पुत्र शिवजी
6. अमराराम पुत्र शिवजीराम
7. नगाराम पुत्र शिवजीराम
8. बालाराम पुत्र शिवजीराम
9. विशनाराम पुत्र शिवजीराम
10. महेन्द्रसिंह पुत्र दानाराम
11. वालाराम पुत्र वागाराम
    जाति जाट निवासी मंगले की बेरी तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
12. तहसीलदार नौखडा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 23.08.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार [illegible] 2073–2076 जमाबंदी (वर्ष 2021) के स्थायी सरहद मौजा मंगले की बेरी के खेत [illegible] नम्बर 103, 64/2 रकबा 1.1493, 4.1925 हैक्टेयर का अवलोकन [illegible]। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:53:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी

है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखड़ा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मंगले की बेरी के खेत खसरा नम्बर 103 64/2 रकबा 1.1493, 4.1925 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखड़ा को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखड़ा को थानाधिकारी पुलिस थाना आर.जी.टी. रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखड़ा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक .... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:53:15 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी